

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं०-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.org

पत्रांक-परिवाद सं०-11/2021.....

67/311.1781

दिनांक 21 जनवरी 2021

प्रेषक,

डॉ० शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण निदेशालय,
समाज कल्याण विभाग, पटना।

विषय :- मधुबनी जिला के हरलाखी थाना क्षेत्र के कौवाहा बरही गाँव की पीड़ित बालिका के ईलाज एवं पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को घटना के सम्बन्ध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेश प्रदान कराते हुए घटना स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई है।

अग्रेतर दिनांक-19.01.2021 को दरभंगा एवं मधुबनी (हरलाखी) की यात्रा कर पीड़िता के पुनर्वास एवं ईलाज हेतु प्रदत्त सुविधाओं का अनुश्रवण किया गया।

पीड़िता की आर्थिक स्थिति एवं मामले की गंभीरता के आलोक में अनुरोध है कि पीड़ित बालिका के ईलाज एवं पुनर्वास सुविधाओं की व्यवस्था से जुड़े तमाम खर्च का समाज कल्याण निदेशालय द्वारा वहन किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए। संबंधित कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन


19.01.2021
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

जापांक-परिवाद सं०-11/2021


67/311.1781

दिनांक 21 जनवरी 2021

प्रतिलिपि:-

- (1) जिला पदाधिकारी, मधुबनी
- (2) सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, मधुबनी
- (3) सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाइ, मधुबनी;- पीड़िता को ईलाज एवं पुनर्वास सुविधाएँ उपलब्ध कराने से जुड़े खर्च वहन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- (4) निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान, पटना

..... सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19.01.2021

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।